उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-39/112/एक-1-2015-5(45)/2012

लखनऊ: दिनाँक: 30 जून, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए रेलवे विभाग, भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चन्दौली	सकलडीहा	धूस	गंजख्वाजा	56	0.0020	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
2					57	0.0030	
3					61	0.0101	
4					71	0.0130	
5					81	0.0253	
6					82	0.0091	
7					85	0.0100	
8					91	0.0690	
9					93	0.0388	
10					106	0.0308	
11					110	0.0260	
12					270	0.0010	

shasnadesh.up.nic.in

13					275	0.0022	
14					278	0.0020	
15					287	0.0101	
16					290	0.0130	
17					294	0.0134	
18					80	0.1074	
				योग	**कुल 18 गाटा**	**0.3862 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-112(1)/एक-1-2015-5(45)/2012 तददिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, चन्दौली को उनके पत्र संख्या-2424/सात-स0भू0अ0/2014, दिनाँक रहित पत्र के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनाँक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल 18 गाटा रकबा 0.3862 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ " के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वाँछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा रेलवे विभाग, भारत सरकार को दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

shashadesh.up.nic.in

3. MMhdVM QV dkjhMkj ifj;ktuk के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- मुख्य मार्ग, उपचकमार्ग, साधारण आबादी, रास्ता व नाली की भूमि इस शर्त के अधीन पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा मुख्य मार्ग, उपचकमार्ग व रास्ता की भूमि के पुनर्ग्रहण के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्ध नहीं करेंगे।

सुरक्षित श्रेणी की भूमि साधारण आबादी की भूमि का पुनर्ग्रहण यदि आवश्यक हो तो उक्त हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कराने के उपरान्त ही किया जा सकता है। रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। शासनादेश संख्या'963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 30.06.2004 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78 दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-112(2)/एक-1-2015-5(45)/2012 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
4- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 117/एच-2 राधा भवन, पाण्डु नगर, कानपुर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in